समाचार

गुमठी ठेलों में अनिवार्य रूप से रखें डस्टबिन

(कचरे को डस्टबिन में ही डालें, निगम उपलब्ध करा रहा डस्टबिन)

कोरबा 11 जून 2021 –आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि नगर के विभिन्न स्थानों, चौक–चौराहों में संचालित गुमठी, ठेलों में अनिवार्य रूप से डस्टबिन उपलब्ध रहें, इस हेतु गुमठी, ठेला संचालकों को जागरूक करते हुए उन्हें निगम से डस्टबिन भी उपलब्ध कराएं तथा यह देखें कि गुमठी, ठेला संचालक अपनी दुकानों से निकले अपशिष्ट को डस्टबिन में ही अनिवार्य रूप से डालें, यदि संबंधितों के द्वारा डस्टबिन में अपशिष्ट न डालकर सड़क आदि में फेंका जा रहा है तो उन पर नियमानुसार अर्थदण्ड लगाएं।

आयुक्त श्री शर्मा के नगर भ्रमण के दौरान यह देखने में आया कि अनेक गुमठी, ठेला संचालकों द्वारा अपनी दुकानों में डस्टबिन नहीं रखे जा रहे हैं, उनकी दुकानों से निकला अपशिष्ट, डिस्पोजल, प्लेट, सहित अन्य कचरे को उनके द्वारा सड़कों के किनारे पर फेंक दिया जा रहा है, जिससे गदंगी फैलती है व निगम की सफाई व्यवस्था पर

विपरीत प्रभाव पड़ता है। आयुक्त श्री शर्मा ने भ्रमण के दौरान संबंधिता गुमठी, ठेला संचालकों को समझाईश दी कि वे अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखें, कचरे को डस्टबिन में ही डाले तथा उनका उचित समापन सुनिश्चित करें। उन्होने व्यवसाय के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगावें, गुमठी, ठेलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी संबंधितों को दिए।

निगम ने बांटे डस्टबिन— आयुक्त श्री शर्मा द्वारा दिए गए निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने ऐसे गुमठी, ठेला संचालक जिनके पास डस्टबिन उपलब्ध नहीं था, उन्हें मौके पर जाकर डस्टबिन प्रदान किया। निगम द्वारा साकेत भवन से तहसील कार्यालय की ओर जाने वाले सड़क पर स्थित गुमठी, ठेला संचालकों को डस्टबिन उपलब्ध कराया तथा उन्हें समझाईश दी कि वे अनिवार्य रूप से डस्टबिन में ही कचरे को डालें, उन्हें हिदायत दी गई कि यदि उनके द्वारा कचरा डस्टबिन में कचरा नहीं डाला जाता तथा कचरे को यूं ही सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है तो उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी, अतः अर्थदण्ड से बचने के लिए कचरे को डस्टबिन में ही डालें तथा उसका उचित समापन सुनिश्चित करें।